

चर्म प्रशिक्षण योजना

योजना का संक्षिप्त विवरण

राज्य सरकार द्वारा चर्म उद्योग को बढ़ावा देने एवं चर्म दस्तकारों के उत्पादन एवं गुणवत्ता में सुधार, नई डिजाइन के उत्पाद तैयार कराने एवं स्वयं का रोजगार शुरू करने के उद्देश्य से वर्ष 1990 में इस योजना को प्रारम्भ किया गया। इस योजना के अंतर्गत चर्म रंगाई, नागरा जूती, लेदर गुड्स एवं लेदर टॉयज बनाने के नवीनतम तकनीक से प्रशिक्षण जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से दिलाया जाता है। यह प्रशिक्षण 2 माह की अवधि का होता है। प्रशिक्षण के अंतर्गत 15 प्रशिक्षणार्थियों का बैच चर्म रंगाई एवं नागरा जूती हेतु तथा 20 प्रशिक्षणार्थियों का बैच लेदर गुड्स व लेदर टॉयज हेतु निर्धारित है।

लाभान्वित वर्ग

अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के 18 से 35 वर्ष उम्र के व्यक्ति लाभान्वित होंगे। चयनित समिति को उम्र में 10 वर्ष तक की छूट देने का अधिकार है।

योग्यता

प्रशिक्षणार्थी को साक्षर होना आवश्यक है। 8वीं पास एवं इससे अधिक पढे लिखे प्रशिक्षणार्थियों को वरीयता दी जायेगी।

स्टाई फंड

प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के दौरान 500 रु. प्रति माह स्टाईफंड दिया जाता है।

टूल-किट्स

प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के उपरान्त स्वयं का रोजगार स्थापित कराने के उद्देश्य से 1000 रु. तक के टूलकिट्स उपलब्ध कराये जाते हैं।

आवेदन

आवेदक को प्रशिक्षण हेतु सादे कागज पर अपना पूर्ण विवरण अंकित करते हुए संबंधित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करना होगा।